बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

पत्रांक: 1/WRD-IT/IT/12/2022 - 102

प्रेषक,

संतोष कुमार मल्ल

प्रधान सचिव

सेवा में,

विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

1. **मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन**
   मोतिहारी/ सिवान/ दरभंगा/ सहरसा/ भागलपुर/ नालंदा, बिहारशरीफ/ गया/ औरंगाबाद / डिहरी।
2. **मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण**
   गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/ समस्तीपुर /वीरपुर /कटिहार /पटना।
3. **मुख्य अभियंता (यांत्रिक)**
   जल संसाधन विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक: 07/04/2025

विषय: MIS वेब सॉफ्टवेयर में त्रुटिरहित एवं वांछित स्वरूप में पूर्णतः आंकड़े अद्यतन करने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय आदेश-1/WRD-IT/IT/12/2022-98, दिनांक: 24.05.2024 एवं पत्रांक-19, दिनांक 23.01.2025।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एवं संदर्भित आदेशों के आलोक में अवगत कराना है कि विभागान्तर्गत समस्त योजनाओं की ऑनलाइन अनुश्रवण व्यवस्था MIS वेब सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित है। योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा इसी पोर्टल से सृजित प्रतिवेदनों के आधार पर की जानी प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत निदेशों के निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण अपेक्षित है:

(क) विभागीय आदेश सं. 98, दिनांक 24.05.2024 के अनुसार WRD-DRISHTI ऐप पर अद्यतन निरीक्षण प्रतिवेदन एवं समस्त आंकड़ों को MIS पोर्टल पर अपलोड किए बिना भुगतान अथवा आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

(ख) पत्रांक-19, दिनांक 23.01.2025 के आलोक में सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों/ मॉनिटरिंग अधिकारियों को निदेशित किया गया है कि:

1. क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा MIS पर सभी योजनाओं से संबंधित कार्य प्रमंडलों के आंकड़े वांछित स्वरूप में अद्यतन एवं त्रुटिरहित प्रविष्ट किए जाएं। प्रत्येक साप्ताहिक समीक्षा से पूर्व MIS को अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रविष्ट आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि अपने स्तर से की जाए।
2. विभागीय मॉनिटर MIS में उद्व्यय, आवंटन, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से संबंधित सभी आंकड़े अद्यतन रखें। प्रत्येक सप्ताह क्षेत्रीय स्तर से प्रविष्ट आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि अनिवार्य रूप से की जाए। योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण नियमित रूप से MIS पोर्टल के माध्यम से किया जाए।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि:

<u>क्षेत्रीय पदाधिकारी</u>

1. सभी योजनाओं से संबंधित आंकड़े MIS पोर्टल पर वांछित स्वरूप में पूर्णतः एवं त्रुटिरहित रूप में प्रविष्ट किए जाएं।
2. प्रत्येक शुक्रवार को MIS पोर्टल पर योजनाओं से संबंधित आंकड़ों को अद्यतन किया जाए।
3. WRD-DRISHTI पोर्टल पर अद्यतन निरीक्षण प्रतिवेदन तथा MIS पोर्टल पर अद्यतन आंकड़े अपलोड किए बिना यदि किसी योजना से संबंधित भुगतान किया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

<u>विभागीय मॉनिटर</u>

1. MIS पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए समस्त आंकड़ों की समीक्षा एवं सत्यापन विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।
2. विभागीय मॉनिटर MIS में उद्व्यय, आवंटन, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से संबंधित आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन एवं प्रमाणित किया जाए।
3. प्रत्येक सप्ताह क्षेत्रीय स्तर से प्रविष्ट आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि की जाए एवं योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण MIS पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से किया जाए।

4. WRD-DRISHTI एवं MIS पर अद्यतन आंकड़ों की पुष्टि के बिना यदि किसी योजना हेतु आवंटन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित सहायता के लिए MIS पोर्टल पर प्रदर्शित नामित प्रोग्रामरों से संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 1/WRD-IT/IT/12/2022-102 **पटना, दिनांक:** 07/04/2025

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन / बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
2. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल-2 / 3 / बाढ़ मोनिटरिंग
3. कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-15 / 16 / 17 / 18
4. कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव